

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

पत्रांक 03/ऑफिस/2021/चार(भ0नियन्त्रण) 2021

दिनांक : 19/5/2021

श्री/श्रीमति/मै0

मैसर्स डी० एस० किल्डर्स एंड डवलपर्स

फा.2नर्स - श्री हेमेश कुमार S/O श्री अतार सिंह

ग्राम - जडीदा, लखौल स्तर, कुनवा

आपके पत्र दिनांक 06/7/20 मानचित्र सं003/आफिस/2020 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित

शय हाउसिंग भवन निर्माण की मौहल्ला/कॉलोनी/ग्राम ~~खुशाला घ0/94 ग्राम सहोबली/आगरा~~ पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
 2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
 3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
 4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
 5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहां प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय को विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
 6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
 7. आप भवन उप नियमों के नियम 21 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
 8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
 9. निर्माण कार्य हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप-नियमों प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण/पत्र प्राप्त करेंगे।
 10. प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूपायी) करेंगे।
 11. स्थल पर 125 वृक्ष अवश्य लगाये व अन्य शर्तें मानचित्र पर अंकित कर दी गयी है।
- इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :- स्वीकृति मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :- अवर अभियन्ता श्री जयकरन सिंह

को प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी/सचिव/उपाध्यक्ष
मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण
मुजफ्फरनगर